

न्यायालय:- अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), शिवहर

शिवहर थाना काण्ड संख्या- 111/2022

Excise No- 1620/2022(सरकार बनाम सत्यनारायण कुमार वगै0)

27.05.2025 :- विचारण के दो अभियुक्तगण (1) सत्यनारायण कुमार एवं (2) धर्मेन्द्र पासवान कि ओर से शपथ पत्र एवं आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन को विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

आवेदक अभियुक्तगण (1) सत्यनारायण कुमार एवं (2) धर्मेन्द्र पासवान के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तगण पर प्रस्तुत वाद में शराब पीने का धारा -37(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016-2018 का अभियोग हैं। धारा -37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद(संशोधित) अधिनियम- 2022 के अंतर्गत अर्थदण्ड का प्रावधान हैं। आवेदक अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है एवं अपना दोष स्वीकार करते हैं। अतः इसे न्यूनतम अर्थदण्ड लेकर वाद का निष्पादन करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में धारा- 37(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत अभियुक्तगण (1) सत्यनारायण कुमार एवं (2) धर्मेन्द्र पासवान के विरुद्ध अभियोग है। अभियुक्तगण अपना दोष स्वीकार करते हैं एवं शपथ पत्र दाखिल कर यह कथन करते हैं कि यह उनका पहला अपराध है।

अतः धारा-37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम- 2022 के नियम 18(3) के आलोक में अलग विहित प्रपत्र- VII में आदेश पारित किया जाता हैं।

लेखापित



अनन्य विशेष न्यायाधीश(उत्पाद)

शिवहर।

बाद में

27.05.2025 :- उपरोक्त आदेश के आलोक में अभियुक्तगण (1) सत्यनारायण कुमार एवं (2) धर्मेन्द्र पासवान द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि प्रत्येक पर मों0-2,500 /-(दो हजार पाँच सौ रू०) चलान के माध्यम से नजारत रसीद संख्या—...2.2.2...2.2.2.....दिनांक— **27.05.2025** एवं चलान सं०—...1.34.....1.3.1....../25-26 दिनांक— **27.05.2025** के द्वारा जमा की गई है। तदनुसार इस वाद में अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे आरोप धारा-37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद(संशोधित) अधिनियम-2022 का वाद निष्पादित किया जाता है। कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनन्य विशेष न्यायाधीश(उत्पाद)
शिवहर।

प्रपत्र-VII

आदेश - पत्र के लिए फॉर्मेट
(नियम 18 देखें)

न्यायालय:- अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), शिवहर

केश नं०- Excise-1620/22 (निवेदन माता - 11/2022)
बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016

1. अभियुक्त का नाम- अमिन्दा पालवान

2. उम्र- 22 वर्ष

3. पिता का नाम- लालचरण पालवान

4. पता- हाट - गुहहनी, माता - बिरमा, जिला - शिवहर

5. गिरफ्तारी की तिथि, समय और स्थान- 29-03-22, 21:50 pm, लालचरण माता

6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि-

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद् द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 29-3-22 को पहली बार अल्कोहल का उपभोग किया था और वह लालचरण माता (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय जाँच/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपयोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का वचन करता है? उसने दोषी होने का अभीवचन किया है। मैं प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित हैं।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2022 की धारा 37 के अधीन 2500 रुपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

27-5-25

तिथि:- 27-05-25

स्थान:- शिवहर


अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद),
शिवहर।

प्रपत्र-VII

आदेश - पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

न्यायालय:- अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), शिवहर

केश नं०- EX-1620/20 [शिवहर भाग- 111/2022]

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016

1. अभियुक्त का नाम- सुप्रभास राय

2. उम्र- 21 वर्ष

3. पिता का नाम- श्री प्रकाश राय

4. पता- क्र०- नं० 1, भाग- श्री गौरी, जिला- पश्चिम चम्पारण

5. गिरफ्तारी की तिथि, समय और स्थान- 29-03-22, 21:50 PM, रामनगर चौक

6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि-

29-3-22

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद् द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 29-03-22 को पहली बार अल्कोहल का उपभोग किया था और वह रामनगर चौक (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय जॉच/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपयोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का वचन करता है? उसने दोषी होने का अभीवचन किया है। मैं प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित हैं।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2022 की धारा 37 के अधीन 25000 रुपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद),
शिवहर।

तिथि:- 27/05/22
स्थान:- शिवहर